(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

प्रकरण संख्या : 76/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

तारीख रजू : 19.11.2024 **निर्णय दिनांक : 16.12.2024**

1. समुन्द्रसिंह बनाम जैतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम डाबडवास हसिंल तहसील नीमराणा जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 **–प्रार्थी**

बनाम

1. पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी नीमराणा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0
2. बलवंत पुत्र कुरडाराम जाति अहीर निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ (हरियाणा) **–अप्रार्थीगण**

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी नीमराणा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 255/2023 व स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 199/2023 बउनवानी समुन्द्रसिंह बनाम बलवंत को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री सुधीर शर्मा, श्री अनुप शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

।। निर्णय ।।

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी नीमराणा के समक्ष प्रकरण संख्या 255/2023 ब उनवानी समुन्द्रसिंह बनाम बलवंत विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी नीमराणा से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री हंसराज यादव ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। वकील उभय पक्ष ने प्रकरण में सीधी बहस करने हेतु निवेदन किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी की आराजी हाल खसरा नम्बर 119 वाके मौजा घीलोठ तहसील नीमराना में स्थित है जिसके साबिक खसरा नम्बर 17 है। उपरोक्त साबिक खसरा नम्बर 17 के बतरफ उत्तर में साबिक खसरा नम्बर 31 है जिसके हाल खसरा नम्बर 127, 128 बने है बाद बटवारा खसरा नम्बर 28/2515 गैर मुमकिन रास्ता व खसरा नम्बर 28/2268/0.22 व खसरा नम्बर 2501/127/0.09 कायम कर प्रतिवादी सख्या 01 के नाम खातेदारी व खसरा नम्बर 2500/127 प्रतिवादी सख्या 01 के 1/2 हिस्से की खातेदारी दर्ज की। वादी के साबिक खसरा नम्बर 17 के बतरफ उत्तर में साबिक खसरा नम्बर 31 है जिसके हाल खसरा नम्बर 127, 128 बने है बाद बटवारा खसरा नम्बर 28/2515 गैर मुमकिन रास्ता व खसरा नम्बर 28/2268/0.22 व खसरा नम्बर 2501/127/0.09 कायम कर प्रतिवादी सख्या 01 के नाम खातेदारी व खसरा नम्बर 2500/127 प्रतिवादी सख्या 01 के 1/2 हिस्से की खातेदारी दर्ज की। वादी के साबिक खसरा नम्बर 17 के बतरफ उत्तर मे साबिक खसरा नम्बर 31 है परन्तु सेटलमेंट पश्चात बने नक्शे में वादी के खसरा नम्बरान को हाल नक्शे में छोटा अंकित किये जाने से दुरूस्ती हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने पर प्रार्थी के स्थगन प्रार्थना पत्र पर मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश पारित किये। अप्रार्थी के द्वारा शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसपर प्रार्थी को

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

बिना सुने ही आगामी तारीख 04.12.2023, 12.12.2023, 18.12.2023, 20.12.2023, 21.12.2023, 26.12.2023, 02.01.2024, 08.01.2024, 10.01.2024, 16.01.2024 नियत की गई तदउपरान्त प्रकरण में लगातार दस दिवस से कम तारीख पेशी दी जाकर प्रकरण को विधि विरूद्ध जाकर निस्तारित करने पर उतारू हो रहे है। अप्रार्थी संख्या 02 ने एलानियां धमकी दी है कि पीठासीन अधिकारी उनके जानकार व रिश्तेदार है जिससे वाद को खारिज करवा देंगे। प्रार्थी के आचरण व पीठासीन अधिकारी के प्रभाव में अप्रार्थी संख्या 02 प्रकरण को बिना मेरिट पर निस्तारण करने पर आमादा होने तथा अप्रार्थी संख्या 02 को वर्तमान पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आते–जाते देखा है इससे स्पष्ट जाहिर है कि वर्तमान पीठासीन अधिकारी के अप्रार्थी संख्या 02 से निजी तालूकात है। वर्तमान पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण के प्रभाव में है तथा मूल वाद व स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज करने की फिराक में है प्रार्थी को वर्तमान पीठासीन अधिकारी से न्याय की कतई उम्मीद नही है इसलिए उपरोक्त पत्रावली का स्थानान्तरण उपखण्ड अधिकारी नीमराणा के राजस्व न्यायालय के अतिरिक्त जिले के अन्यत्र न्यायालय में किया जाना न्यायसंगत है।

5. वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में जाहिर किया कि प्रार्थी मनगढंत एवं झूठे तथ्य पेश कर प्रकरण को देरी करने की मंशा से पेश किया है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी प्रार्थना पत्र पेश किया जो दिनांक 16.04.2024 को खारिज किया जा चुका है, जिसकी अपील राजस्व मंडल अजमेर में पेश की जो दिनांक 15.10.2024 को राजस्व मंडल अजमेर द्वारा भी खारिज की जा चुकी है। प्रार्थी बार–बार मुंतकिल प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण का निस्तारण नही होने या विलम्ब करने की मंशा से पेश कर रहे है। अंत में वकील अप्रार्थी ने मुंतकिल प्रार्थना पत्र को सारहीन होने व झूठे, मनगढंत तथ्य होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

6. उपखण्ड अधिकारी नीमराणा ने अपने पत्रांक कोर्ट/2024/956 दिनांक 04.12.2024 के द्वारा जाहिर किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य मनमाने व झूठे है। यदि प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो न्यायालय हाजा को कोई आपत्ति नही है।

7. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

8. वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में पेश दस्तावेजो का ध्यानपुर्वक अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है। प्रार्थी के द्वारा प्रकरण को निस्तारण में देरी करने की मंशा से बार–बार मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया जाना बखूबी साबित होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी नीमराना को भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 16.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़